

भारत सरकार  
विधि और न्याय मंत्रालय  
विधि कार्य विभाग  
राज्य सभा  
अतारांकित प्रश्न सं. 2357  
जिसका उत्तर गुरुवार, 20 मार्च, 2025 को दिया जाना है

### संस्थागत मध्यस्थता केंद्र

#### 2357 श्री संजीव अरोड़ा :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच वर्षों में माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 के तहत निपटाए गए मध्यस्थता मामलों की कुल संख्या कितनी है, तथा उनकी सफलता दर क्या है ;

(ख) किन्हीं वित्तीय या विनियामक प्रोत्साहनों सहित दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जैसे प्रमुख केंद्रों में संस्थागत मध्यस्थता केंद्रों को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ; और

(ग) क्या मंत्रालय ने वैश्विक मध्यस्थता रैंकिंग में भारत की स्थिति का आकलन करवाया है और सिंगापुर, लंदन और हांगकांग की तुलना में भारत की स्थिति में सुधार हेतु क्या उपाय किए गए हैं ?

### उत्तर

**विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);  
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री  
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)**

(क) : सरकार द्वारा ऐसा कोई डाटा नहीं रखा जाता है।

(ख) : पिछले दशक के दौरान, भारत सरकार ने वैकल्पिक विवाद समाधान (एडीआर) के तंत्र के संवर्द्धन के लिए विभिन्न पहल की हैं और इन तंत्रों को सुदृढ़ करने और उन्हें अधिक प्रभावकारी और त्वरित बनाने के लिए और नीतिगत तथा विधायी हस्तक्षेप करने के लिए प्रतिबद्ध है। वर्ष 2015 और 2019 में माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 में किए गए संशोधनों का उद्देश्य, भारतीय माध्यस्थम् परिषद से संबंधित उपबंधों को शामिल करने के माध्यम से संस्थागत माध्यस्थम् का संवर्द्धन करना, सर्वोत्तम वैश्विक पद्धतियों को प्रतिबिंबित करने के लिए विधि को अद्यतन करना, माध्यस्थम् कार्यवाहियों का समय पर निष्कर्ष सुनिश्चित करना, मध्यस्थों की तटस्थता और माध्यस्थम् प्रक्रिया में न्यायिक हस्तक्षेप को कम करना है, जिससे एक माध्यस्थम् पारिस्थितिकी तंत्र की स्थापना हो, जहां संस्थागत माध्यस्थम् के माध्यम से संचालित माध्यस्थम् का वर्द्धन और समृद्धि हो सके। और, संस्थागत माध्यस्थम् को सुकर बनाने के लिए एक स्वतंत्र, स्वायत्त और विश्व स्तरीय निकाय बनाने और केंद्र को राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित करने के प्रयोजन के लिए भारतीय अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र (केंद्र) की स्थापना का उपबंध करने के लिए भारतीय अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र अधिनियम, 2019 को अधिनियमित किया गया था। केंद्र की स्थापना जब से नई दिल्ली में की गई है और इसका उद्देश्य माध्यस्थम् के माध्यम से वाणिज्यिक विवादों के समाधान के लिए एक तटस्थ विवाद समाधान मंच प्रदान करके घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों पक्षों के बीच विश्वास जगाना है। केंद्र की परिकल्पना देश में एक आदर्श माध्यस्थम् संस्था बनने की है, जिससे माध्यस्थम् के लिए संस्थागत ढांचे की गुणवत्ता बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त होगा। और, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र

अधिनियम, 2019 की धारा 24 के निबंधन में, सरकार ने भारतीय अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र को निम्नलिखित अनुदान जारी किए हैं: -

वित्तीय वर्ष	अनुदान सहायता जारी
2022-2023	2.25 करोड़
2023-2024	3 करोड़
2024-2025	2.25 करोड़ (आज तक)

**(ग) :** सरकार द्वारा ऐसा कोई निर्धारण नहीं किया गया है। तथापि, वैकल्पिक विवाद समाधान जिसके अंतर्गत माध्यस्थम् और मध्यकता भी है, के क्षेत्र में संबंधित सुधारों के साथ-साथ विधायी और नीतिगत हस्तक्षेप, पणधारियों की बदलती अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, सरकार द्वारा की जा रही एक सतत प्रक्रिया है। और समय-समय पर किए गए हस्तक्षेपों ने एडीआर परिदृश्य को बेहतर बनाने और सुदृढ़ करने, कारबार करने में सगमता का समर्थन करने और देश को विनिधान और आर्थिक वृद्धि के लिए एक आकर्षक गंतव्य के रूप में देखे जाने हेतु सक्षम बनाने में योगदान दिया है।

\*\*\*\*\*